न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 8/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/2025

अपीलाण्ट्स :–
1. हरिसिंह पुत्र आसुसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र आसुसिंह
3. भीमसिंह पुत्र गेनसिंह
4. अणची कंवर पत्नी नारायणसिंह तमाम जातिगण पुरोहित, निवासीगण बिठू तहसील रोहट जिला पाली
5. चम्पा पुत्री नारायणसिंह पत्नी शैतानसिंह जाति पुरोहित निवासी दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट
2. कुन्दनसिंह पुत्र नारायणसिंह
3. नाथूसिंह पुत्र नारायणसिंह
4. प्रतापसिंह पुत्र नारायणसिंह तमाम जातिगण पुरोहित निवासीगण बिठू तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल सेन
सरकारी पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.11.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 03.01.1983 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सोहनलाल सेन वक्त बहस उपस्थित हुए। सरकारी पैरोकार उपस्थित। रेस्पो. संख्या 02 लगायत रेस्पो. संख्या 04 के नाम जारी सम्मन तामील होने के बावजूद वक्त बहस बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि सरहद मौजा बिठू पटवार हल्का बिठू भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिठू तहसील रोहट जिला पाली की सरहद में खसरा संख्या 434 रकबा 0.8822 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 484 रकबा 1.9425 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा संख्या 491 रकबा 1.5216 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं खसरा संख्या 539 रकबा 8.9274 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि गेना वल्द जावतींग कौम पुरोहित के नाम खातेदारी दर्ज थी। गेना के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण उसके विधिक उत्तराधिकारी आसुसिंह, भीमसिंह, नारायणसिंह व पुखसिंह के नाम स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् गेना के पुत्र आसुसिंह की सन् 1982 में मृत्यु हो गई जिससे आसुसिंह के हिस्से की भूमि उसके विधिक उत्तराधिकारी अपीलाण्ट्स संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज हुई शेष खाता बदस्तूर रहा परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय आसुसिंह के विधिक उत्तराधिकारी के सही

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

नाम की जांच किये बिना तथा न ही कोई विधिक नोटिस दिया तथा न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का समय दिये बिना जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया और उसमें अपीलाण्ट संख्या 01 हरिसिंह का नाम हीरसिंह दर्ज कर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। जिससे उक्त नामान्तरकरण इस नाम की हद तक काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि अपीलाण्ट संख्या 01 का वास्तविक नाम हरिसिंह है जबकि त्रुटिपूर्वक उसका नाम हीरसिंह दर्ज कर दिया गया। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व रेस्पो. के जवाब से उक्त तथ्य प्रथम–दृष्ट्या उचित प्रतीत होता है। अतएव जैर नामान्तरकरण संख्या 415 दिनांक 03.01.1983 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, रोहट को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर यह सुनिश्चित करे कि हरिसिंह एवं हीरसिंह एक ही व्यक्ति है एवं तद्नुसार उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.12.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **26.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली